


| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :- 147/2023 सजना बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 136 राज. भू राजस्व अधिनियम | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|--|
| 2/1/25 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थिया उपस्थित। बहस पत्रावली पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थिया ने कथन किया कि राजस्व ग्राम बड़ागांव पटवार हल्का बड़ागांव तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 742 रकबा 0.45 है० भूमि अवस्थित है, उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया का नाम कोकन कंवर पुत्री मालसिंह दर्ज रिकॉर्ड है जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम सजना देवी पुत्री माल सिंह है जिसे दुरुस्त किया जाये।</p> <p>पत्रावली के संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट व दस्तावेजों और प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों यथा जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि से भी प्रार्थिया का नाम सजना देवी पुत्री माल सिंह साबित होता है। तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट में कोकन कंवर व सजना देवी एक ही व्यक्ति के नाम होना साबित है। अतः बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात व बगौर मनन बहस वकील प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रार्थिया न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।</p> <p>लिहाजा :-</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बड़ागांव पटवार हल्का बड़ागांव तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 742 रकबा 0.45 है० में प्रार्थिया का नाम कोकन कंवर पुत्री मालसिंह की बजाय सजना देवी पुत्री माल सिंह दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।</p> | |


 (हवाई सिंह यादव) 02/01/25
 उपखण्ड अधिकारी, सुंखण्ड अधिकारी
 सुंखण्ड (राज.)